

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-4/अ0प्र0-01-06/2022
प्रेषक,

5230 (म)

/पटना, दिनांक 16.04.25

ई0 भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।
सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषय:- संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-01/2019 के तहत विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति के पश्चात् योगदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-171 दि0-14.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं0-78 सहपठित ज्ञापांक-1871 दिनांक-16.02.2025 द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र में निदेश जारी किया गया था कि नवनियुक्त कनीय अभियंताओं द्वारा समर्पित विरमन आदेश/त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र की जाँच के उपरान्त उनके योगदान को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

कतिपय प्रमंडलों से सूचना प्राप्त हुई है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता, जो पूर्व में संविदा पर नियोजित थे, के द्वारा विरमन आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनका योगदान स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही है।

कृपया इस संबंध में प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) में अंकित दिशा-निर्देश का अवलोकन करना चाहेंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं है। अतः "आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा NOC निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरान्त ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।"

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में पूर्व में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के योगदान स्वीकृति के बिन्दु पर कार्रवाई की जाय।
अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



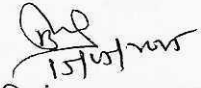
अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।

P.T.O



ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-06/2022 5230174 /पटना, दिनांक- 16.5.25

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

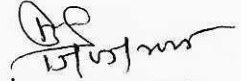

15/5/25

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-06/2022 5230174 /पटना, दिनांक- 16.5.25

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/5/25

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।

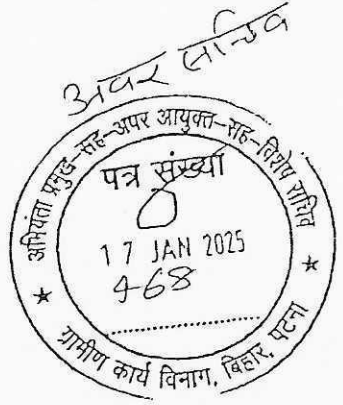
रजिस्ट्रार

प्रेषक,

मनोज रमण,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
भवन निर्माण विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
लघु जल संसाधन विभाग,
योजना विकास विभाग,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।



पटना, दिनांक- 14-01-2025

संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 के तहत नियमित नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प

ज्ञापांक 2401 दिनांक- 18.07.2007 एवं संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक- 22.01.2021 द्वारा निर्गत संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत राज्याधीन सभी कार्य विभागों में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) को विज्ञापन संख्या-01/2019 के तहत नियमित नियुक्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श/मंतव्य प्राप्त की गयी है:-

(i) संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) जिनकी नियुक्ति अपने पूर्व नियोजित विभाग में ही किया जाना है, उनके संबंध में NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की आवश्यकता है अथवा नहीं ?

(ii) संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) जिनपर कोई आरोप न हो एवं जिनकी नियुक्ति अन्य कार्य विभागों में की जानी है, के संबंध में NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गत किया जाना।

(iii) संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) जिनपर आरोप/अनुशासनिक/अपराधिक कार्रवाई वर्तमान में लंबित है एवं जिनकी नियुक्ति अन्य विभागों में की जानी है, के संबंध में NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गत किया जाना।

(iv) संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) जिन्हें आरोपित पाये जाने के कारण उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है एवं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनकी तत्कालीन संविदा समाप्ति के संसूचन/अनुशासनिक कार्यवाही के पश्चात लिये गये निर्णय का कनीय अभियंता की वर्तमान नियमित नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

2. उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्न परामर्श/मंतव्य प्रदत्त किया गया है :-
 'संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा NOC निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरान्त ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे। यहाँ यह उल्लेख कर दिया जाना आवश्यक है कि संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं को चयन के क्रम में आयोग द्वारा संविदा अवधि में किये गये कार्य के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की गयी होगी। प्रासंगिक लाभ संविदा नियोजित कनीय अभियंता के प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर दिया गया होगा। अतः नियमित नियुक्ति के क्रम में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो लेना/की सम्पुष्टि करा लिया जाना भी उचित होगा।

जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है उनके मामलों में प्रशासी विभाग को प्रत्येक मामले को गुण-गुण के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।"

अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उपर्युक्त परामर्श/मंतव्य एवं इस संदर्भित अन्य परिपत्रों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 के तहत नियमित नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

14/01/25

(मनोज रमण)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।